कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 21.02.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. देवी प्रसाद सोनकर पुत्र राम धीरज नि0 खानपुर मोहल्ला थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–50/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. गुड़िया पत्नी सिल्का, 02.सिल्का पुत्र ननकऊ निवासीगण महेश पुरवा मौजा सेहरियाकला थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 30 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–29/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. कामता पुत्र सुकई नि0 वखिरा मंहगूपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 30 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–59/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. राम दुलारी पत्नी अछैवर नि0 अमवा खटिकन पुरवा थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–52/21, 02. राम सूरत उर्फ पुताली पुत्र राम अछैवर नि0 अमवा खटिकन पुरवा थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–53/21, 03. मुरली पुत्र रामसेवक नि0 अमवा खटिकन पुरवा थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–54/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. शिवमंगल तिवारी पुत्र श्रवण कुमार तिवारी नि0 ग्राम बरई पारा पोस्ट भीखपुर थाना को0 देहात जनपद बलरामपुर के कब्जे से 20 पौव्वा नकली रैपर युक्त शराब व परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद कर मु0अ0सं0–63/21, धारा 60/72 आबकारी अधि0 व 419.420 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायायल रवाना कर दिया गया।

बलवा करने के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना परसपुर ने बलवा करने के 02 आरोपी अभियुक्तों–01. लल्लू यादव पुत्र बैजनाथ, 02.अरूण कुमार पुत्र शिव प्रसाद निवासीगण ग्राम मरचौर पूरे मदरिया थाना परसपुर जनपद गोण्डा को थाना परसपुर में पंजीकृत मु00अ0सं0–32/21, धारा 147.148.323.324.308 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

वादी मंशाराम पुत्र श्रीराम बिलास यादव नि0 ग्राम मरचौर पूरे मदारिया थाना परसपुर जनपद गोण्डा के भाई जगन्नाथ यादव ने प्रधान कार्यो की जॉच हेतु जिलाधिकारी गोण्डा को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी। जिसमें दिनांक 19.02.2021 को भूमि संरक्षण अधिकारी गोण्डा व अन्य सम्बन्धित जॉच कर्मी जॉच करने हेतु ग्राम प्रधान के घर के पास बने सार्वजनिक शौचालय व तालाब का निरीक्षण कर रहे थे कि उक्त अभियुक्तगणों द्वारा अपने साथी अभियुक्तों के साथ सामुहिक रूप से गाली–गुप्ता देते हुए वादी के भाई जगन्नाथ को लाठी–डण्डा, फरसा से मारापीटा था। जिससे जगन्नाथ को गम्भीर चोटे आयी थी तथा वह मौके पर ही बेहोश हो गया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना परसपुर में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें परसपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर ग्राम मरचौर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

जालसाजी करने की आरोपी अभियुक्ता गिरफ्तार–

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार पुलिस ने जालसाजी करने के आरोपी अभियुक्ता–उमा पटेल पत्नी प्रहलाद वर्मा नि0 सुल्तानपुर कबीरपुर थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर को थाना कटराबाजार में पंजीकृत मु0अ0सं0–15/20, धारा 419.420.467.468. 471 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्ता ने फर्जी/कूटरचित दस्तावेज लगाकर सहायक अध्यापक के पद पर डफालीपुरवा माधवपुर में नौकरी कर रही थी। जिसके सम्बन्ध में वादी अनिल कुमार झॉ खण्ड शिक्षा अधिकारी कटरा बाजार द्वारा थाना कटराबाजार में उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें कटराबाजार पुलिस ने विवेचना के आधार पर दोषी पायी गयी उक्त आरोपी अभियुक्ता को मुखबिर की सूचना पर बस स्टैण्ड गोण्डा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।